

2005 02/03/22



नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं पर

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत
के वार्ड संख्या ५७ से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- अनुराधा देवी

पति/पति का नाम- राकेश कुमार

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- नहीं शुन्य

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- शुन्य

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शुन्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शुन्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शुन्य
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शुन्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शुन्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शुन्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? नहीं शुन्य

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शुन्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शुन्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शुन्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शुन्य

(क) निष्पादन की तिथि- शुन्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शुन्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- नहीं शुन्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शुन्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- नहीं शुन्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शुन्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शुन्य



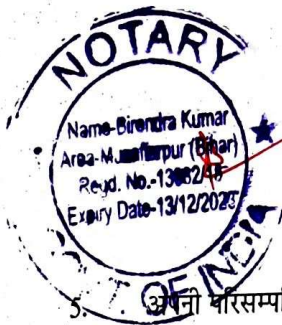
2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लॉबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- नहीं शून्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- नहीं शून्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या- शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लॉबित हो, तो पूर्ण विवरण- शून्य



5. अपनी वारसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शून्य

(ii) शहरी भूमि- एक डीसमील

(iii) भवन- एकका मकान चार कम (मूल्य 400,000/- चार लाख रुपये)

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 10,000/- (दस हजार)

(ii) बैंक बैलेन्स- 2,356.48

(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शून्य

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण

(पूर्ण विवरण दें)

मेजाल छत्र सोने का हल्का 5000/-
चौकी का पत्थर 1 जोड़ा हल्का 2000/-

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ

(प्रमाण-पत्रों के साथ)

शून्य

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

शून्य



अपनी वैधानिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें- इन्टरमीडिएट (सिनेट्रल बोर्ड) धर्मपुर (अनुराधा देवी) 2001

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान-मुजफ्फरपुर

तिथि-24.09.2022

Anuradha Devi
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्यू टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

Pay:- 40006283176 = 90 + 10 = 100

2006 28/6/22

प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र



मैं, अनुराधा देवी पति/पति

उम्र 34 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मोहल्ला के वार्ड संख्या 47

मोहल्ला मोहल्ला, पोस्ट रामपुर, थाना मोहल्ला, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करती/करते हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मोहल्ला के वार्ड संख्या 47 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मोहल्ला के वार्ड 47 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूची में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - रामेश कुमार

नाम - रामेश कुमार

पता - मोहल्ला मंडार मोहल्ला नगर विद्या
परिषद

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर शोबिता प्रसाद

नाम - शोबिता प्रसाद

पता - मोहल्ला नगर विद्या परिषद

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 23.09.2022

Date 23/9/22
Muzaffarpur (Bihar)

Anuradha Devi
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Anand Kumar Gupta
Advocate

dt-23.09.2022

Anand Kumar Gupta
Advocate
Advocate's Association
Block No.-02
Civil Court, Muzaffarpur
Mob. 9204710200

लगातार SN-NO- 44312

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।